न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 86/2016

1 बाबू खां आयु 66 वर्ष पुत्र अब्दुल खां जाति मुसलमान पठान निवासी ग्राम हर्ष तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मजीद खां (फौत)
1/1 श्रीमती कनीज बानो उर्फ कमला पत्नी स्व. मजीद खां
1/2 सफी मोहम्मद पुत्र स्व. मजीद खां
1/3 रफीक मोहम्मद पुत्र स्व. मजीद खां
1/4 फारूक उर्फ अनु मोहम्मद पुत्र स्व. मजीद खां
1/5 श्रीमती अनिषा बानो पुत्री स्व. मजीद खां
1/6 श्रीमती रफीका बानो पुत्री स्व. मजीद खां
2 सिराज खां पुत्र अब्दुल खां
3 शहीद खां पुत्र अब्दुल खां
4 वहीद खां पुत्र अब्दुल खां
5 बडौदा राजस्थान क्षेत्री ग्रामीण बैंक शाखा हर्ष
6 उप पंजीयक महोदय, सीकर।
7 पटवारी हल्का हर्ष तहसील सीकर ग्रामीण सबलपुरा।
8 तहसीलदार तहसील भूमिधारक सीकर ग्रामीण सबलपुरा।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकार
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक
13.06.2016 उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सीकर दावा संख्या 04/2014 उनवानी
बाबू खां बनाम मजीद खां।

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री निर्मल कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 19.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 04/2014 में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां एक वाद उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ बाबत भूमि खसरा नम्बर 956, 958, 959 को पेश किया। जिसमें अपीलांट का 1/3 हिस्सा है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम हर्ष तहसील सीकर ग्रामीण व जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 956

भू-प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 958 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 959 रकबा 2.51 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.57 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसमें अपीलांट का 1/3 हिस्सा हैं अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य है। अपीलांट ने वादास्पद कृषि भूमि में अवस्थित कूप पर स्वयं के खर्चे से विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया तथा करीबन 125 ट्रक पत्थर के डलवा कर चारो तरफ पुख्ता डण्डा का निर्माण करवाया तथा कुए के पास पुख्ता मकानात निर्मित करवाये जिसमें अपीलान्ट मय परिवार के निवास करता आ रहा है तथा अपीलान्ट ने इसी भूमि में दो दुकानो का निर्माण करवाया। अपीलांट के पिता अब्दुल खां व माता श्रीमती बरकत अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के पास ही रहे तथा अपीलान्ट ही उनकी पुरी सेवा सुश्रूषा की तथा अपीलांट की माता जब तक जीवित थी जो दिनांक 20.03.2009 को अपीलान्ट की सेवाओं से प्रसन्न होकर वादास्पद कृषि भूमि में से अपना 1/6 हिस्सा व इसी कृषि भूमि में अवस्थित अपने पुराने रिहायशी मकानात जो वादास्पद कृषि भूमियों में बने है में अपना 1/6 हिस्सा अपीलान्ट को जुबानी वसीयत कर दिया था तथा इस बात की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 को है। इस प्रकार अपीलान्ट कृषि भूमियों के 1/3 हिस्से पर काबिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का 2/3 हिस्सा रिकार्ड में अंकित है लेकिन मौके पर उनका कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादास्पद कृषि भूमियों में निर्मित मकानात में भी अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा है तथा 1/3 हिस्से पर ही काबिज है। अपीलांट की दो बहिने श्रीमती खेरून व श्रीमती मुन्नी है जिनमें से श्रीमती खेरून की मृत्यु हो चुकी है तथा श्रीमती मुन्नी अपने ससुराल में आबाद है व वही पर काश्त की भूमियां है जो काश्त करती है। वादास्पद कृषि भूमियों में पुराने पुख्ता रिहायशी मकानात है जिसमें अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा है जिन पर अपीलान्ट काबिज है। विचारण न्यायालय में पत्रावली वास्ते तलबी एवं जवाब दावा में चल रही थी तथा प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये वकील कोर्ट में हाजिर आ चुका था पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 11.08.2016 तय थी किन्तु बिना किसी सूचना व इतिला के तथा बिना किसी आदेश के पत्रावली दिनांक 13.06.2016 को कैम्प हर्ष का हवाला देकर बिना पक्षकारान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की उपस्थिति में वादी/अपीलान्ट का वाद मनमाने आधारों पर खारिज कर दिया। कानूनन जवाब दावा प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की जाकर व शहादत पक्षकारान ली जाकर ही निर्णय पारित किया जाता है किन्तु विचारण न्यायालय ने न्यायिक प्रकिया की पालना न कर खण्डनाधीन निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट अपने इस कुत्सित इरादे में कामयाब हो गये तो अपीलान्ट को इस कदर अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में किया जाना सम्भव नहीं हैं। इसलिए रेस्पोडेन्टस को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे और अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी द्वारा अपने वाद में अपनी माता के 1/6 हिस्से को मौखिक वसीयत के आधार पर उद्घोषणा करवाना चाहता है। रिकार्ड पर ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज नहीं है कि वसीयत के आधार पर वादी को माता के 1/6 हिस्से का खातेदार उद्घोषित किया जा सकता हो। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने वाद में अपनी माता के 1/6 हिस्से को मौखिक वसीयत के आधार पर उद्घोषणा करवाना चाहता है। रिकार्ड पर ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज नहीं है कि वसीयत के आधार पर वादी को माता के 1/6 हिस्से का खातेदार उद्घोषित किया जा सकता हो। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(देवाराम धोजक)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर